[2019] 10 एस. सी. आर 217

ए.

असम पब्लिक वर्क्स बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2009 की लिखित याचिका (सी) संख्या 274) 13 अगस्त, 2019

बी.

[रंजन गोगोई**,** सीजेआई और आर**.** एफ**.** नरीमन**,** जे**.]**

नागरिकता अधिनियम, 1955:एसएस।3, 6 – असम राज्य-राज्य समन्वयक की रिपोर्ट-पैराग्राफ 7 (ए) में प्रस्तावित कार्रवाई कि किसी भी एन. आर. सी. आवेदन/दावेदार के लिए, यदि माता-पिता/विरासत में प्राप्त व्यक्ति जिसके माध्यम से पात्रता साबित करने की मांग की जाती है, वह डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. है, तो ऐसे व्यक्तियों को अन्य माता-पिता की स्थिति के बावजूद एन. आर. सी. में शामिल नहीं किया जाएगा-इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त कार्रवाई एस. के प्रावधानों के विपरीत थी।3(1)(क) उस अधिनियम का, जो भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मामले में जन्म से नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित है, जो 26.1.1950 पर या उसके बाद, लेकिन 1.7.1987 से पहले पैदा हुआ था-आयोजितःएस के प्रावधानों का उद्देश्य और प्रभाव।3(1)(ए) और (बी) अधिनियम की 2015 की रिट याचिका (सी) No.311 में इस अदालत की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है-लंबित मुद्दा यह है कि क्या "भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति" अभिव्यक्ति केवल भारतीय नागरिकों से पैदा हुए व्यक्तियों पर लागू होगी और क्या "जिनके माता-पिता में से कोई भी उनके जन्म के समय भारत का नागरिक है"।3(1)(ख) अधिनियम का प्रावधान केवल उस व्यक्ति पर लागू होगा जो अपने माता-पिता से पैदा हुआ है, जिसमें से एक नागरिक है और दूसरा विदेशी है, बशर्ते कि उसने कानूनी रूप से भारत में प्रवेश किया हो और भारत में उसका रहना लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

नागरिकता अधिनियम, 1955:असम राज्य-राज्य समन्वयक की रिपोर्ट-पैराग्राफ 7 (बी) और 7 (सी) में प्रस्तावित कार्रवाई कि 3.12.2004 से पहले पैदा हुए व्यक्ति, जिनके माध्यम से विरासत ली गई है, डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. नहीं हैं और एन. आर.

सी. में शामिल होने के लिए पात्र पाए जाते हैं, लेकिन अन्य माता-पिता जिनसे विरासत नहीं ली गई है, वे डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. हैं, तो ऐसे वंशजों को एन. आर. सी. में शामिल किया जा सकता है; और वे व्यक्ति जो 3.12 को या उसके बाद पैदा हुए हैं।2004, उन्हें एन. आर. सी. में शामिल नहीं किया जाएगा यदि माता-पिता में से कोई भी डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. है, भले ही माता-पिता से विरासत ली गई हो, सभी कोणों से स्पष्ट हो-पैराग्राफ 7 (बी) और (सी) में दिए गए सुझाव/प्रार्थनाएं।

जी.

एच.

217 ए.

राज्य समन्वयक की दिनांकित 10.7.2019 की रिपोर्ट एस के प्रावधानों के अनुरूप है।3(1) (ख) और (ग) दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए अधिनियम और मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.)-इसलिए, पैराग्राफ 7 (बी) और (सी) में दिए गए उक्त सुझावों/प्रार्थनाओं में प्रस्तावित कार्रवाई के संदर्भ में कार्य करने के लिए राज्य समन्वयक को अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, बशर्ते कि यह न्यायालय 2015 की रिट याचिका (सी) No.311 में पारित कर सके-इसके अलावा, जैसा कि राज्य समन्वयक द्वारा सुझाव दिया गया है, उठाए गए मुद्दे पर न्यायाधिकरण द्वारा सबसे अच्छा निर्णय लिया जा सकता है, यदि आवश्यक हो और जब अपील दायर की जाती है।

बी.

नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003-आर.4 ए, 6 ए -2003 के नियमों के आर. 4 ए में असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने के मामले में विशेष प्रावधान किए गए हैं -आर. 4 ए (2) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि असम राज्य में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट विवरणों के लिए आवेदन आमंत्रित करके तैयार किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 के आधार पर नागरिकता की स्थिति और 24.3.1971 की आधी रात तक की मतदाता सूची शामिल है।4 असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने के लिए, उसके तहत बनाई गई अनुसूची के साथ पठित 2003 के नियमों में से ए, एस में निहित प्रावधानों के कारण आवश्यक था।6 अधिनियम का ए जो असम समझौते के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए विशेष प्रावधान हैं-एस के तहत।6 अधिनियम के ए (2) के अनुसार, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ से तुरंत पहले निर्दिष्ट क्षेत्र (बांग्लादेश में शामिल क्षेत्रों के रूप में परिभाषित) से असम राज्य में आए

थे, जिनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके नाम 1967 में हुए आम चुनाव के उद्देश्यों के लिए मतदाता सूची में शामिल किए गए थे, और जो असम में अपने प्रवेश की तारीखों के बाद से असम में सामान्य रूप से निवासी हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाता है।6 अधिनियम के ए (4) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को नागरिक ए के समान अधिकार और दायित्व होंगे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

219

असम पब्लिक वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स।

भारत सरकार; लेकिन दस साल की अवधि के लिए वह किसी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने का हकदार नहीं होगा -अधिनियम की धारा 6 ए, जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम) द्वारा आई. डी. 2 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया था, इस प्रकार असम राज्य में नागरिकों की एक विशेष श्रेणी का निर्माण करता है- संपूर्ण एन. आर. सी. अभ्यास उपरोक्त आधार पर किया गया है, अब इसे कुछ अन्य मापदंडों पर एक नए अभ्यास की शुरुआत करके फिर से खोलने का आदेश नहीं दिया जा सकता है जो एस. के प्रावधानों के बल पर हस्तक्षेप करने वालों/आवेदकों की ओर से सुझाए गए हैं।3(1) (क) अधिनियम-नागरिकता अधिनियम, 1955-एस. एस.3,6.

बी.

राष्ट्रीय नागरिक पंजीःएन. आर. सी. आँकड़ों की सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में राज्य समन्वयक की प्रार्थना-इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि आधार आँकड़ों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था की तर्ज पर एक उपयुक्त व्यवस्था लागू की जाए-इसके बाद ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत के महापंजीयक को समावेशन और बहिष्करण की सूची उपलब्ध कराई जाएगी-इसके अलावा यह निर्देश दिया गया कि समावेशन की पूरक सूची की केवल हार्ड-प्रतियां ही एन. आर. सी. सेवा केंद्रों, सर्कल कार्यालयों और राज्य के जिलाधिकारियों के कार्यालयों में प्रकाशित की जाएं-यह भी निर्देश पारित किया गया कि 31.8.2019 पर प्रकाशित होने वाली बहिष्करणों की सूची केवल ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी और

परिवार-वार होगी-जहां तक आई. एम. डी. टी. अधिनियम के तहत पारित आदेशों की वैधता का संबंध है।

सी.

डी.

ई.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2009 की रिट याचिका (सी) संख्या 274।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

एफ.

2019 की आई. ए. संख्या 114781,114788,114807,114814,116964,1177074,117697 और 117689।

तुषार मेहता, एस. जी., कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, सी. यू. सिंह, बी. एच. मार्लापल्ले, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, कैलाश प्रसाद पांडे, सुश्री शेफाली सेठी, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री रेखा पांडे, अंकुर तलवार, सुश्री श्रद्धा देशमुख, बी. कृष्ण प्रसाद, बी. वी. बलराम दास, शुभोदीप रॉय, रजत नायर, सतरूप दास, फुजैल अहमद अयूबी, मुष्ताफा खद्दम हुसैन, इबादत मुश्ताक, सुश्री अदिति गुप्ता, सुश्री तहसिना, सुश्री शबीन अंजुम, सुश्री लुबना नाज, सुश्री कुनिका, सोमेश

जी.

एच.

ए.

चंद्र झा, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री कृष्णा मारिया, ए. एस. तपादार, अजीत वाघ, मंसूर अली, सुश्री रुबीना जावेद, सुश्री रश्मि सिंघानिया, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक महाजन, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री बांसुरी स्वराज, सुश्री अर्शिया घोष, दिव्यांश तिवारी, शौरीजीत चक्रवर्ती, सुश्री आस्था शर्मा, अमलान कुमार घोष, सुश्री जयश्री सतपुते, मोहित चौधरी, सुश्री तृप्ति पोद्दार, देबोजी बोरकोकाटी, विवेक शंकर, सुश्री मालविका त्रिवेदी, अंकित यादव, टी. महिपाल, सुश्री स्नेहा कलीता, सुश्रीउपस्थित दलों के लिए।

बी.

सी.

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

रंजन गोगोई, सीजेआई।

डी.

1. 23 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में हमने 10 जुलाई, 2019 की विद्वान राज्य समन्वयक श्री प्रतीक हजेला की रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 और 8 को निकाला था।10 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के उपरोक्त दो पैराग्राफ की सामग्री को निर्धारित करने के बाद हमने विद्वान राज्य समन्वयक को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देना उचित समझा था ताकि सभी हितधारकों को प्रतिनिधि क्षमता में इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि विद्वान राज्य समन्वयक द्वारा 10 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के उपरोक्त दो पैराग्राफ में की गई प्रार्थनाओं को चुनौती दी जा सके।उक्त दो अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

ई.

"7. एक अन्य मामला जिस पर हस्ताक्षरकर्ता ध्यान दिलाना चाहता है, वह डी वोटर (डी. वी.)/घोषित विदेशी (डी. एफ.)/विदेशी न्यायाधिकरणों/अन्य न्यायालयों (पी. एफ. टी.) में लंबित मामलों के वंशजों के ऐसे मामलों के बारे में है, जिनके माता-पिता में से एक डी. वी./डी. एफ./पी. एफ. टी. है, लेकिन जिस माता-पिता से एन. आर. सी. में शामिल करने के लिए विरासत ली गई है, वह डब्ल्यू. पी. (सी.) 274/2009 4 डी. वी./डी. एफ./पी. एफ. टी. नहीं है और वह भी एन. आर. सी. में शामिल होने के योग्य पाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जुलाई 2018 के अपने आदेश में आदेश दिया है कि जो व्यक्ति डी. वी. या पी. एफ. टी. हैं और साथ ही उनके वंशजों को अद्यतन एन. आर. सी. में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि माता-पिता में से किसी एक से वंश प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है जहां माता-पिता में से एक सभी कोणों से स्पष्ट है (डी. वी./डी. एफ./पी. एफ. टी. नहीं और एन. आर. सी. समावेशन के लिए पात्र नहीं है) जबकि दूसरा माता-पिता डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि वंशजों की पात्रता तय करते समय, ए

एफ.

जी.

एच.

असम पब्लिक वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 (1) (बी) और (सी) के प्रावधानों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो सकता है, हालांकि नागरिकता विशुद्ध रूप से जन्म से है न कि वंश द्वारा (धारा 3 (1) (ए) एन. आर. सी. में शामिल करने के लिए पात्र नहीं है। यह विनम्रता से महसूस किया जाता है कि धारा 3 (1) (बी) और (सी) का आधार यह है कि 3 दिसंबर, 2004 तक पैदा हुए किसी भी वंशज की नागरिकता का निर्धारण करते समय, माता-पिता में से किसी एक की नागरिकता की पात्रता पर्याप्त है, जबकि 3 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद पैदा हुए उन वंशजों के लिए, माता-पिता दोनों की नागरिकता की पात्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।2 जुलाई 2018 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 (1) (बी) और (सी) में निहित प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से निम्नलिखित कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता हैः ए। किसी भी एन. आर. सी. आवेदन/दावेदार के लिए, यदि माता-पिता/विरासत में प्राप्त व्यक्ति जिसके माध्यम से पात्रता साबित करने की मांग की जाती है, वह डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. है, तो ऐसे व्यक्तियों को अन्य माता-पिता की स्थिति के बावजूद एन. आर. सी. में शामिल नहीं किया जाएगा।

बी.

सी.

डी.

बी। 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए व्यक्तियों के लिए, यदि माता-पिता जिनके माध्यम से विरासत खींची जाती है, वे डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. नहीं हैं और एन. आर. सी. में शामिल होने के लिए पात्र पाए जाते हैं, लेकिन अन्य माता-पिता जिनसे विरासत नहीं खींची जाती है, वे डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. हैं, तो ऐसे वंशजों को एन. आर. सी. में शामिल किया जा सकता है।

ई.

ग. उन व्यक्तियों के लिए जो 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए हैं, उन्हें एन. आर. सी. में शामिल नहीं किया जाएगा यदि माता-पिता में से कोई भी डी. वी. या डी. एफ. या पी. एफ. टी. है, भले ही वह माता-पिता जिनसे विरासत ली गई हो, सभी कोणों से स्पष्ट हो।

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामला प्रतिनिधि द्वारा राय के लिए न्यायाधीश समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन समिति ने इस मामले पर माननीय न्यायालय का आदेश लेने की सलाह दी।इस प्रकार उपरोक्त डब्ल्यू. पी. (सी) 274/2009 5 अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

एफ.

8. कि प्रतिनिधि अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) (आई. एम. डी. टी.) अधिनियम के तहत पारित आदेशों की वैधता के मामले में भी स्पष्टीकरण चाहते हैं। कुछ आवेदकों ने उन्हें भारतीय घोषित करते हुए आई. एम. डी. टी. के तहत पारित आदेश प्रस्तुत किए हैं।इस मामले को प्रतिनिधि द्वारा न्यायाधीश समिति को भी भेजा गया था, हालांकि, समिति ने प्रतिनिधि को इस मामले पर माननीय न्यायालय से आदेश लेने की सलाह दी।इस प्रकार, दिशा-निर्देश

जी.

एच.

आई. एम. डी. टी. के आदेशों की स्वीकार्यता के बारे में पूछा जाता है, चाहे वह व्यक्ति को भारतीय घोषित करना हो या अवैध प्रवासी।"

2. 23 जुलाई, 2019 के हमारे उपरोक्त आदेश के अनुसार, विद्वान राज्य समन्वयक की 10 जुलाई, 2019 की उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 (ए) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती देते हुए कई अंतर्वर्ती आवेदन (आई. ए.) दायर किए गए हैं कि उक्त कार्रवाई नागरिकता अधिनियम, 1955 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 (1) (ए) के प्रावधानों के विपरीत है, जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति के मामले में जन्म से नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित है।

बी.

सी.

3. विद्वान राज्य समन्वयक द्वारा की गई प्रार्थना के खिलाफ उपरोक्त आपत्ति को 10 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट में निहित निम्नलिखित कथन के संदर्भ में मजबूत करने की मांग की गई है।

"ऐसा भी प्रतीत होता है कि वंशजों की पात्रता तय करते समय, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 (1) (बी) और (सी) के प्रावधानों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो सकता है, हालांकि नागरिकता विशुद्ध रूप से जन्म से है न कि वंश द्वारा (धारा 3 (1) (ए) एन. आर. सी. में शामिल करने के लिए पात्र नहीं है।

डी.

[रेखांकित करना हमारा है**]**

ई.

4. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों के साथ-साथ विद्वान राज्य समन्वयक को भी सुना है जो व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होते हैं।अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) और (बी) के प्रावधानों का उद्देश्य और प्रभाव वर्तमान में 2015 की रिट याचिका (सिविल) No.311 में इस अदालत की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है।इस न्यायालय के 21 जुलाई, 2015 के आदेश द्वारा 2015 की उक्त रिट याचिका (सिविल) No.311 में संविधान पीठ का संदर्भ दिया गया था।विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या "भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति" अभिव्यक्ति केवल भारतीय नागरिकों से पैदा हुए व्यक्तियों पर लागू होगी और क्या नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 (1) (बी) में "जिसके माता-पिता में से कोई भी अपने जन्म के समय भारत का नागरिक है" अभिव्यक्ति केवल उस व्यक्ति पर लागू होगी जो माता-पिता से पैदा हुआ है, जिनमें से एक नागरिक है और दूसरा विदेशी है, बशर्ते कि उसने कानूनी रूप से भारत में प्रवेश किया हो और भारत में उसका प्रवास लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है।

एफ.

जी.

5. विद्वान राज्य समन्वयक की 10 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 (बी) और (सी) में दिए गए सुझाव/प्रार्थनाएं ए में हैं।

एच.

223

असम पब्लिक वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) और (सी) के प्रावधानों और मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) के अनुरूप।इसलिए, हम पैराग्राफ 7 (बी) और (सी) में दिए गए उक्त सुझावों/प्रार्थनाओं में प्रस्तावित कार्रवाई के संदर्भ में कार्य करने के लिए विद्वान राज्य समन्वयक को अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, बशर्ते कि यह न्यायालय 2015 की रिट याचिका (सिविल) No.311 में पारित कर सके।इसके अलावा, जैसा कि विद्वान राज्य समन्वयक द्वारा सुझाव दिया गया है, उठाए गए मुद्दे का सबसे अच्छा निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो और जब अपील दायर की जाती है।

बी.

6. यह न्यायालय को 10 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 (ए) में विद्वान राज्य समन्वयक द्वारा की गई प्रार्थनाओं/सुझावों और इस संबंध में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए लाएगा कि वे अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के प्रावधानों की अनदेखी करते हैं।

सी.

7. भले ही अधिनियम की धारा 3 और 6 ए के प्रावधानों की रूपरेखा इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 2012 के डब्ल्यू. पी. (सी) <आई. डी. 1 और 2015 के डब्ल्यू. पी. (सी) <आई. डी. 2 में विचाराधीन है, और ऐसे आदेशों द्वारा शासित होंगे जो पारित किए जा सकते हैं, हम इस स्तर पर, नियम 4 ए के प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं-नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 (जिसे इसके बाद "2003 नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) जो इसके तहत निर्धारित किए गए हैं।

डी.

ई.

“4 असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में विशेष प्रावधान **-**

(1) नियम 4 में कुछ भी, नागरिकता (नागरिकता का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) संशोधन नियम, 2009 के शुरू होने पर और उसके बाद, असम राज्य पर लागू नहीं होगा।

एफ.

(2) केंद्र सरकार, इस उद्देश्य के लिए, असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने के लिए असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने के लिए सभी निवासियों से आवेदन आमंत्रित करेगी, जिसमें राज्य के स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से संबंधित निर्दिष्ट विवरण एकत्र किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 पर आधारित नागरिकता की स्थिति और 24 मार्च, 197 की मध्यरात्रि तक मतदाता सूची शामिल होगी।

जी.

एच.

(3) नागरिक पंजीकरण महापंजीयक आधिकारिक राजपत्र में गणना की अवधि और अवधि को अधिसूचित करेगा।(4) असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने का तरीका वैसा ही होगा जैसा इन नियमों से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।"

बी.

8. 2003 के नियमों के नियम 4 ए में असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने के मामले में विशेष प्रावधान किए गए हैं।नियम 4 ए के प्रावधान 2003 के नियमों के नियम 4 में निहित प्रावधानों से अलग हैं जो देश के बाकी हिस्सों में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने से संबंधित हैं।नियम 4 ए (2) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि असम राज्य में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर सभी निवासियों से आवेदन आमंत्रित करके तैयार किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 के आधार पर नागरिकता की स्थिति और 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक की मतदाता सूची सहित प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से संबंधित निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे। उपरोक्त दो दस्तावेजों को दस्तावेजों की एक अतिरिक्त सूची द्वारा पूरक किया गया है, जिनमें से किसी भी का उपयोग एक दावेदार द्वारा एन. आर. सी. में शामिल करने के अपने दावे के समर्थन में किया जा सकता है कि दावेदार या उसका पूर्वज 24 मार्च, 1971 को या उससे पहले असम राज्य में रह रहा था।सम्मिलित दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः

सी.

डी.

ई.

"कानूनी दस्तावेजों की सूची ए-स्वीकार्य 1.एन. आर. सी., 1951 का सार

2. 24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) की मध्यरात्रि तक निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति निकालें।

एफ.

3. 24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) तक की प्रासंगिक अवधि के किरायेदारी अभिलेखों सहित भूमि अभिलेख

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नागरिकता प्रमाण पत्र (24 मार्च, 1971 (आधी रात) तक)

5. 24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) तक राज्य के बाहर से जारी स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (जो सभी पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी करने वाले प्राधिकरण से सत्यापित किए जाने चाहिए)

जी.

6. 24 मार्च, 1971 (आधी रात) तक जारी शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र

एच.

225

असम पब्लिक वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

ए.

7. भारत सरकार द्वारा 24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) तक जारी पासपोर्ट

8. भारतीय जीवन बीमा निगम की 24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) तक की प्रासंगिक अवधि की बीमा पॉलिसी (एल. आई. सी. आई.)

9. 24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) तक प्रासंगिक अवधि के किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई भी लाइसेंस/प्रमाण पत्र।

बी.

10. 24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) 11 तक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तहत सेवा/रोजगार दिखाने वाला दस्तावेज़।24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) तक की प्रासंगिक अवधि के बैंक/डाकघर खाते

सी.

12. 24 मार्च, 1971 (आधी रात) तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

13. बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा 24 मार्च, 1971 (आधी रात) तक जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र

डी.

14. 24 मार्च, 1971 (आधी रात) तक अदालत से संबंधित अभिलेख/प्रक्रियाएँ

सहायक दस्तावेज़

15. 24 मार्च, 1971 (आधी रात) तक आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड

ई.

ध्यान दें:उपर्युक्त दस्तावेज़ों की सूची में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार किया जाएगा, सिवाय एस. एल. के खिलाफ उल्लिखित दस्तावेज़ के। 15 जिसे केवल सहायक दस्तावेज माना जा सकता है।”

एफ.

9. नियम 4 ए (4) में यह भी प्रावधान है कि असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने का तरीका 2003 के नियमों से जुड़ी एक अलग अनुसूची में निर्धारित किया जाएगा।अनुसूची के खंड 2 और 3 को नीचे यह दिखाने के लिए निकाला गया है कि असम राज्य में एन. आर. सी. में प्रवेश के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान की गई है।

जी.

"2. असम राज्य में भारतीय नागरिक के राष्ट्रीय रजिस्टर का मसौदा तैयार करने का तरीका**-(1) (**ए**)** जिला मजिस्ट्रेट

राष्ट्रीय नागरिक पंजी, 1951 और निर्वाचक नामावली की प्रतियां 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक, जो भी उपलब्ध हो, पर्याप्त संख्या में प्रकाशित कराएंगे और उन्हें स्थानीय नागरिक पंजी में भेजेंगे।

एच.

प्रत्येक गाँव और वार्ड में व्यापक प्रसार और सार्वजनिक निरीक्षण के लिए।(ख) स्थानीय नागरिक पंजीकरण पंजीयक अभिलेखों के प्रदर्शन और आवेदन पत्र जारी करने और प्राप्त करने के लिए केंद्र में स्थित सार्वजनिक स्थान का चयन करेगा।

(ग) स्थानीय नागरिक पंजीकरण पंजीयक अपने अधिकार क्षेत्र में अभिलेखों का संरक्षक होगा और कार्यालय के समय के दौरान इसके प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होगा।

बी.

(2) स्थानीय नागरिक पंजीकरण पंजीयक भरे हुए आवेदन पत्र उसी स्थान पर प्राप्त करेगा जहाँ आवेदन जारी किए जाते हैं और आवेदक की रसीद जारी करेगा।

सी.

(3) स्थानीय नागरिक पंजीकरण पंजीयक, उप-अनुच्छेद (3) के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदनों की जांच करेगा और इसके सत्यापन के बाद, इसकी एक समेकित सूची तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम होंगे, अर्थात्:—

डी.

(क) ऐसे व्यक्ति जिनके नाम किसी भी (24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक की मतदाता सूची) या राष्ट्रीय नागरिक पंजी, 1951 में दिखाई देते हैं;

(ख) ऊपर खंड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के वंशज।"

"3.आवेदनों की जांच।-(1) आवेदनों की जांच

ई.

पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (3) के तहत प्राप्त आवेदन पत्र में बताई गई जानकारी की तुलना आधिकारिक रिकॉर्ड से की जाएगी और जिन व्यक्तियों की जानकारी क्रम में पाई जाती है, वे समेकित सूची में अपने नाम शामिल करने के पात्र होंगे।

एफ.

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध प्रवासी या विदेशी घोषित किए गए व्यक्तियों के नाम समेकित सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे:

बशर्ते कि उन व्यक्तियों के नाम जो 1966 के बाद और 25 मार्च, 1971 से पहले असम राज्य में आए थे और जिन्होंने विदेशी पंजीकरण क्षेत्रीय अधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत किया था और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध प्रवासी या विदेशी घोषित नहीं किया गया है, वे समेकित सूची में शामिल होने के पात्र होंगे।

जी.

एच.

227

असम पब्लिक वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

(3) उन व्यक्तियों के नाम जो मूल रूप से असम राज्य के निवासी हैं और उनके बच्चे और वंशज**,** जो भारत के नागरिक हैं**,** को समेकित सूची में शामिल किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता उचित संदेह से परे और पंजीकरण प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए सुनिश्चित की जाती है।

बी.

(4) स्थानीय नागरिक पंजीकरण पंजीयक, पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (3) के तहत प्राप्त आवेदन में उल्लिखित माता-पिता के संबंध के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, मामले को अनुसंधान के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और उसका निर्णय और स्थानीय नागरिक पंजीकरण पंजीयक भी व्यक्ति या परिवार को इसकी सूचना देगा।

सी.

(5) स्थानीय नागरिक पंजीयक, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो -

(क) 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक असम राज्य के अलावा किसी अन्य स्थान पर रह रहा था; या

डी.

(ख) असम राज्य के भीतर 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित हो गया है,

अंतर-राज्य पत्राचार के माध्यम से, या, जैसा भी मामला हो, अंतर-जिला पत्राचार के माध्यम से ऐसे व्यक्ति से संबंधित जानकारी का सत्यापन करें।"

ई.

10. इस न्यायालय के दिनांकित 21.07.2015 के आदेश का एक उद्धरण असम के मूल निवासियों के साथ-साथ उन नागरिकों के संबंध में मुद्दे को और स्पष्ट करेगा जो 24.03.1971 के बाद देश के अन्य हिस्सों से असम चले गए होंगे।

एफ.

"जहां तक नियमों से जुड़ी अनुसूची के खंड 3 (3) का संबंध है, हम स्पष्ट करते हैं कि "असम राज्य के मूल निवासी" अभिव्यक्ति में "चाय जनजाति" शामिल होगी और ऐसे मूल निवासियों को शामिल करना पंजीकरण प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रमाण के आधार पर होगा जो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता को उचित संदेह से परे स्थापित करता है।इस संबंध में भारत के महापंजीयक के किसी भी निर्देश का पालन पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा भी किया जाएगा।

जी.

जहां तक नियमों की अनुसूची के खंड 3 (5) का संबंध है, हम स्पष्ट करते हैं कि भारतीय नागरिक, उनके बच्चों सहित और

एच.

वंशज, जो 24 मार्च, 1971 के बाद असम राज्य में चले गए हों, वे 24 मार्च, 1971 को देश के किसी भी हिस्से (असम के बाहर) में निवास का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर एन. आर. सी. में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।"

11. असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने के लिए 2003 के नियमों के नियम 4 ए में निहित विशेष प्रावधान अधिनियम की धारा 6 ए में निहित प्रावधानों के कारण आवश्यक हो गया था, जो असम समझौते के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए विशेष प्रावधान हैं।अधिनियम की धारा 6 ए (2) के तहत, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के शुरू होने से तुरंत पहले निर्दिष्ट क्षेत्र (बांग्लादेश में शामिल क्षेत्रों के रूप में परिभाषित) से 1 जनवरी, 1966 से पहले असम राज्य में आए थे, जिसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके नाम 1967 में हुए आम चुनाव के उद्देश्यों के लिए मतदाता सूची में शामिल किए गए थे, और जो असम में अपने प्रवेश की तारीखों के बाद से असम में सामान्य रूप से निवासी हैं, उन्हें 1 जनवरी, 1966 को और उससे पहले भारत का नागरिक माना जाता है।

बी.

सी.

डी.

12. व्यक्ति (ओं) जिन्होंने 1 जनवरी, 1966 के बीच लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश किया था और जो असम में सामान्य रूप से निवासी रहे हैं, एक विदेशी (ओं) के रूप में पाए जाने पर, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खुद को पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी थे।इस तरह के पंजीकरण पर, अधिनियम की धारा 6 ए (4) के तहत, ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के समान अधिकार और दायित्व होंगे; लेकिन दस साल की अवधि के लिए वह किसी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने का हकदार नहीं होगा।

ई.

13. अधिनियम की धारा 6 ए, जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम No.65) द्वारा 7 दिसंबर, 1985 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया था, इस प्रकार असम राज्य में नागरिकों की एक विशेष श्रेणी का निर्माण करता है।इस प्रकार बनाई गई नागरिकों की विशेष श्रेणी को ध्यान में रखते हुए असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने के मामले में अनुसूची के साथ पठित 2003 के नियमों के नियम 4 ए द्वारा एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई, जिसके तहत सभी व्यक्तियों (भारत में पैदा हुए व्यक्तियों सहित) के दावे या तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 में प्रविष्टियों या 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक तैयार की गई किसी भी मतदाता सूची या पहले निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज के आधार पर होने थे।

एफ.

जी.

एच.

229

असम पब्लिक वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [रंजन गोगोई, सीजेआई।]

ए.

14. उपरोक्त प्रक्रिया उन व्यक्तियों की बड़ी संख्या के कारण आवश्यक थी जिन्होंने अधिनियम की धारा 6 ए के आधार पर वास्तव में भारत के क्षेत्रों में पैदा हुए बिना नागरिकता प्राप्त की थी।फिर भी, जैसा कि अधिनियम की धारा 6 ए ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को नागरिकता प्रदान करती है, असम राज्य में एन. आर. सी. में शामिल करने के लिए ऊपर दर्शाई गई एक विशेष प्रक्रिया तैयार करनी होगी।असम समझौते के तहत इस पर सहमति बनी थी, जिसके कारण 7 दिसंबर, 1985 से नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6 ए लागू की गई।

बी.

15. पूरा एन. आर. सी. अभ्यास उपरोक्त आधार पर किया गया है, इसलिए अब अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के प्रावधानों के बल पर हस्तक्षेप करने वालों/आवेदकों की ओर से सुझाए गए कुछ अन्य मापदंडों पर एक नए अभ्यास की शुरुआत करके इसे फिर से खोलने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

सी.

16. जहां तक एन. आर. सी. आँकड़ों की सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में विद्वान राज्य समन्वयक की प्रार्थना का संबंध है, हम निर्देश देते हैं कि आधार आँकड़ों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप एक उपयुक्त व्यवस्था लागू की जाए।इसके बाद ही समावेशन और बहिष्करण की सूची राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत के महापंजीयक को उपलब्ध कराई जाएगी।हम आगे निर्देश देते हैं कि राज्य के जिलाधिकारियों के एन. आर. सी. सेवा केंद्रों, सर्कल कार्यालयों और कार्यालयों में केवल समावेशन की पूरक सूची की हार्ड-प्रतियां प्रकाशित की जाएं।हम यह भी निर्देश देते हैं कि 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित होने वाली बहिष्करणों की सूची केवल ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी और परिवार के अनुसार होगी।

डी.

ई.

17. जहाँ तक आई. एम. डी. टी. अधिनियम के तहत पारित आदेशों की वैधता का संबंध है, हम निर्देश देते हैं कि ऐसे मामले निर्णय द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अनवर अली बनाम असम राज्य मामले में

एफ.

2014 (3) जीएलटी 500। 18.हम यह स्पष्ट करते हैं कि 2012 की रिट याचिका (सी) No.562 और 2015 की रिट याचिका (सी) No.311 में संविधान पीठ द्वारा पारित आदेशों के अधीन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन. आर. सी.) को अद्यतन किया जाएगा।

जी.

देविका गुजराल

निर्देश जारी किए गए।

एच.